

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को रिटेल आउटलेट (पेट्रोल/डीजल पम्प) के लिए खरीद/दीर्घ अवधि लीज आधार पर भूमि की आवश्यकता हैं

यह विज्ञापन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा रिटेल आउटलेट (पेट्रोल/डीजल पम्प) के लिए खरीद/दीर्घ अवधि लीज आधार पर भूमि लेने के लिए है एवं डीलरशिप नियुक्ति हेतु प्रस्ताव नहीं हैं।

नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार राजस्थान राज्य में निम्नलिखित स्थानों पर रिटेल आउटलेट की स्थापना के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को एकमुश्त बिक्री/पट्टे (न्यूनतम 19 वर्ष 11 माह नवीनीकरण विकल्प के साथ) पर भूखण्ड के हस्तांतरण के लिए इस विज्ञापन के जारी होने की तिथि से पूर्व वैध एवं स्पष्ट विषयगत योग्य भूमि का स्वामित्व रखने वाली इच्छुक पार्टियों से दो निविदा प्रणाली अर्थात् (क) तकनीकी निविदा (ख) वित्तीय निविदा के अंतर्गत मुहरबंद प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्र. सं.	राज्य	जिला	लोकेशन	साइट की न्यूनतम परिमाण (मिटर में)		बाजार की श्रेणी	क्र. सं.	राज्य	जिला	लोकेशन	साइट की न्यूनतम परिमाण (मिटर में)		बाजार की श्रेणी		
				अग्रभाग	गहराई						अग्रभाग	गहराई			
1	जोधपुर	जोधपुर	जोधपुर	30	21	बी	38	श्रीगंगानगर	नगर परिषद सीमा के भीतर, श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	जोधपुर	30	20	सी	
2	जोधपुर	जोधपुर	जोधपुर	30	21	बी	39	हनुमानगढ़	नगर परिषद सीमा के भीतर, हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	जोधपुर	30	20	सी	
3	जोधपुर	जोधपुर	जोधपुर	30	21	बी	40	पीपरछा	एनएच-8 पर (बायीं तरफ)	राजसमंद	उदयपुर	45	45	डी 1	
4	दौसा	जोधपुर	जोधपुर	30	21	सी	41	एनएच-148	डी पर शम्भुगढ़	भीलवाड़ा	उदयपुर	45	45	डी 1	
5	चुरू	जोधपुर	जोधपुर	30	21	सी	42	डूंगरपुर	शहर (म्यूनिसिपल सीमा के अंदर)	डूंगरपुर	उदयपुर	30	21	सी	
6	करौली	जोधपुर	जोधपुर	30	21	सी	43	एनएच-113	पर धामोतर	प्रतापगढ़	उदयपुर	45	45	डी 1	
7	अलवर	जोधपुर	जोधपुर	30	21	सी	44	चित्तौड़गढ़	शहर (म्यूनिसिपल सीमा के अंदर)	चित्तौड़गढ़	उदयपुर	30	21	सी	
8	भरतपुर	जोधपुर	जोधपुर	30	21	सी	45	एनएच-27	पर माइलस्टोन 715 से 725 के बीच (उदयपुर-पिंडवाड़ा रोड)	उदयपुर	उदयपुर	45	45	डी 1	
9	मांजी	जोधपुर	जोधपुर	35	35	डी 2	46	माउंट आबू	(नगर निगम सीमा के भीतर)	सिरोही	उदयपुर	30	21	सी	
10	इंदिरा	जोधपुर	जोधपुर	30	21	बी	47	सिरोही	(नगर निगम सीमा के भीतर)	सिरोही	उदयपुर	30	21	सी	
11	खो	जोधपुर	जोधपुर	30	21	बी	48	बांसवाड़ा	शहर (नगर निगम सीमा के भीतर)	बांसवाड़ा	उदयपुर	30	21	सी	
12	कांबटिया	जोधपुर	जोधपुर	30	21	बी	49	प्रतापगढ़	(नगर निगम सीमा के भीतर)	प्रतापगढ़	उदयपुर	30	21	सी	
13	सिरसी	जोधपुर	जोधपुर	30	21	बी	50	सविना	खेड़ा	उदयपुर	उदयपुर	35	35	सी	
14	न्यू	जोधपुर	जोधपुर	30	21	बी	51	रोहट	पाली	उदयपुर	उदयपुर	45	45	डी 1	
15	गोपालपुरा	जोधपुर	जोधपुर	30	21	बी	52	पाली	शहर (नगर निगम सीमा के भीतर)	पाली	उदयपुर	30	21	सी	
16	चित्रकूट	जोधपुर	जोधपुर	30	21	बी	53	एनएच-8	पर काया	उदयपुर	उदयपुर	45	45	डी 1	
17	वैशाली	जोधपुर	जोधपुर	30	21	बी	54	अजारी	सिरोही	उदयपुर	उदयपुर	45	45	सी	
18	गांधी	जोधपुर	जोधपुर	30	21	बी	55	सुराता	प्रतापगढ़	उदयपुर	उदयपुर	30	21	सी	
19	कुम्भा	जोधपुर	जोधपुर	30	21	बी	56	प्रतापनगर	(उदयपुर नगर निगम सीमा के भीतर)	उदयपुर	उदयपुर	30	21	सी	
20	हल्दी	जोधपुर	जोधपुर	30	21	बी	57	मूंगाणा	प्रतापगढ़	उदयपुर	उदयपुर	30	21	सी	
21	राणा	जोधपुर	जोधपुर	30	21	बी	58	सुमेरपुर	पाली	उदयपुर	उदयपुर	30	21	सी	
22	महल	जोधपुर	जोधपुर	30	21	बी	59	नया	बोरिया	प्रतापगढ़	उदयपुर	उदयपुर	30	21	सी
23	पत्रकार	जोधपुर	जोधपुर	30	21	बी	60	उदयपुर	शहर (उदयपुर नगर निगम सीमा के भीतर)	उदयपुर	उदयपुर	30	21	सी	
24	जनपथ	जोधपुर	जोधपुर	30	21	बी	61	एनएच-8	पर चैनेज नं. 105 से 115 तक	राजसमंद	उदयपुर	45	45	डी 1	
25	सांचोर	जोधपुर	जोधपुर	30	21	सी	62	झालावाड़	(नगर निगम सीमा के भीतर)	झालावाड़	अजमेर	30	21	सी	
26	भवाड़ा	जोधपुर	जोधपुर	20	20	सी	63	कोटा	शहर (नगर निगम सीमा के भीतर)	कोटा	अजमेर	30	21	बी	
27	जोधपुर	जोधपुर	जोधपुर	30	20	बी	64	रामगंज	मंडी (नगर निगम सीमा के भीतर)	कोटा	अजमेर	30	21	सी	
28	फलोदी	जोधपुर	जोधपुर	30	20	सी	65	कुचामन	शहर (नगर निगम सीमा के भीतर)	नागौर	अजमेर	30	21	सी	
29	पीपाड़	जोधपुर	जोधपुर	30	20	सी	66	अजमेर	शहर (नगर निगम सीमा के भीतर)	अजमेर	अजमेर	30	21	बी	
30	बिलाड़ा	जोधपुर	जोधपुर	30	20	सी	67	अजमेर	शहर माकड़वाली रोड पर (नगर निगम सीमा के भीतर)	अजमेर	अजमेर	30	21	बी	
31	बाड़मेर	जोधपुर	जोधपुर	30	20	सी	68	ब्यावर	(नगर निगम सीमा के भीतर)	अजमेर	अजमेर	30	21	सी	
32	बालोतरा	जोधपुर	जोधपुर	30	20	सी	69	किशनगढ़	शहर (नगर निगम सीमा के भीतर)	अजमेर	अजमेर	30	21	सी	
33	जैसलमेर	जोधपुर	जोधपुर	30	20	सी	70	गवनावा	से ब्यावर (एनएच-8 पर बाईं तरफ)	अजमेर	अजमेर	45	45	डी 1	
34	भीनमाल	जोधपुर	जोधपुर	30	20	सी	71	गवनावा	से किशनगढ़ (एनएच-8 पर बाईं तरफ)	अजमेर	अजमेर	45	45	डी 1	
35	जालौर	जोधपुर	जोधपुर	30	20	सी	72	एनएच-27	पर चमन चौराहा, घाड़ी के 20 किमी. के भीतर (पोरबंदर से सिल्वर) - दायीं तरफ	बुंदी	अजमेर	90	113	डी 1	
36	बीकानेर	जोधपुर	जोधपुर	30	20	बी	73	गोटन	नागौर	अजमेर	अजमेर	35	35	सी	
37	श्रीविक्रमनगर	जोधपुर	जोधपुर	30	20	सी	74	अजमेर	शहर (कलेक्ट्रेट चौराहा के 1 किमी. के भीतर)	अजमेर	अजमेर	30	21	बी	
							75	इटवाह	गोटा	अजमेर	अजमेर	35	35	सी	
							76	श्रीपिंग	सेन्टर शास्त्री नगर, अजमेर के सामने	अजमेर	अजमेर	30	21	बी	

कृपया निम्नलिखित को नोट किया जाए:

- राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रस्तावित भूमि टोल ब्रिज/राष्ट्रीय राजमार्ग-राज्य राजमार्ग-एमडीआर क्रॉसिंग से 1 कि.मी. के दायरे में नहीं होनी चाहिए और इसे उसी ओर निकटतम मौजूदा रिटेल आउटलेट से न्यूनतम 1 कि.मी. की दूरी पर होना चाहिए।
- उपरोक्त वर्णित न्यूनतम प्लॉट आकार, पीडब्ल्यूडी/एनएचआई/स्थानीय निकाय/वैधानिक मानकों के अनुसार, सड़क के केंद्र से अपेक्षित दूरी छोड़ने के बाद, वाणिज्यिक रूपांतरण हेतु उपलब्ध होना चाहिए।
- भूखण्ड का अग्रभाग भूखण्ड तक उचित पहुंच मार्ग के साथ राजमार्ग/मुख्य रोड/अन्य रोड से जुड़ा होना चाहिए।
- निविदादाता सभी सांविधिक स्वीकृतियाँ जैसे शहरी भूमि सीलिंग, गैर-कृषि रूपांतरण, आयकर क्लियरेंस, गैर-अधिभार प्रमाणपत्र आदि की व्यवस्था करेगा।
- निविदादाता सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूमि के मामले में भार.रा.प्रा. की आवश्यकताओं को पूरा करती है।
- भूमि वरीयत: समतल, जहां तक संभव हो सड़क के स्तर पर, एक लगातार भूखण्ड के रूप में होनी चाहिए।
- भूखण्ड ओवरहेड हाई टेंशन पावर लाइन, उत्पाद/पानी की पाइपलाइन/नहरों/ड्रेनेज/नालों/सार्वजनिक सड़क/रेलवे लाइन आदि से मुक्त होना चाहिए।
- भूखण्ड सभी प्रकार के ऋणभार/अतिक्रमण/धार्मिक संरचनाओं आदि से मुक्त होना चाहिए। इस आशय के लिए विधिवत नोटरी द्वारा प्रमाणित आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा।
- यदि भूमि का सम्पूर्ण भाग एक स्वामी का नहीं है तो सभी भूमि मालिक जिनके भूखण्ड एक साथ स्टेट हुए हैं और जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, वह एक पंजीकृत पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से अपना प्रस्ताव दे सकते हैं। यद्यपि, इंडियन ऑयल केवल पावर ऑफ अटॉर्नी धारक से ही लेनदेन करेगा। प्रस्ताव के साथ प्रत्येक भूमि मालिक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रति जमा करनी होगी।
- कृषि भूमि का प्रस्ताव देने वाले भूमि मालिकों को इसे अपने खर्च एवं लागत पर गैर-कृषि भूमि विशेषतः रिटेल आउटलेट/बुनियादी सुविधाओं और अन्य सम्बद्ध प्रयोजनों में प्रयोग के लिए वाणिज्यिक उपयोग करने के लिए परिवर्तित करना होगा।
- जिला प्राधिकरण एवं अन्य सरकारी निकाय भी इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। उपयुक्त पाये जाने पर सरकारी भूमि को प्राथमिकता दी जाएगी।
- इंडियन ऑयल के अनुमान के अनुसार, निविदादाताओं के वाणिज्यिक मूल्यांकन पर निम्नलिखित अतिरिक्त लागतों पर भी विचार किया जाएगा (i) चारदीवारी/ह्यूम पाइप की लागत के साथ भूमि की मर्राई/समेकन/काटिंग के साथ-साथ प्रस्तावित भूमि को सड़क के स्तर तक लाने के लिए उतार-चढ़ाव (ii) अन्य भौतिक मापदंड जैसे टेलीफोन/विजली के लाइनों को स्थानांतरित करना/बिछाने की लागत।
- ब्रोकर/प्रॉपर्टी डीलर आवेदन नहीं करें।
- इंडियन ऑयल किसी भी तरह से देरी, डाक/कैस द्वारा भेजे गए दस्तावेज प्राप्त न होने, गुम होने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। प्राप्त किए गए कोटेशन मात्र एक प्रस्ताव हैं जो इंडियन ऑयल को किसी भी तरह बाध्य नहीं करते हैं।
- इंडियन ऑयल बिना कोई कारण बताए किसी या सभी प्रस्तावों को अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।

प्रस्ताव निम्नानुसार दो निविदा प्रणाली में जमा किए जाने चाहिए :

- (क) **तकनीकी निविदा** : तकनीकी निविदा के अंतर्गत विधिवत हस्ताक्षरित दस्तावेजों की प्रतियों के साथ प्रस्तावित भूखण्ड के विवरण जमा किए जाने चाहिए। तकनीकी निविदा में किसी भी प्रकार का प्रस्तावित मूल्य/भूमि की लागत नहीं होनी चाहिए।

निविदादाता को निम्नलिखित विवरण भरने होंगे :

- भूमि के स्वामी(यों) का नाम।
- भूखण्ड की सम्पत्ति अवस्थिति को दर्शाते विवरणों के साथ मुख्य योजना।
- भूखण्ड के आयाम के साथ बिक्री/पट्टे के लिए प्रस्तावित क्षेत्र।
- 7/12 उद्घरण या इसके समकक्ष विवरण जैसे खतौनी, जमाबंदी, खसरा, गिरदवारी आदि और टाइटल डीड जैसे बिक्री डीड आदि जिसमें सत्य प्रतिलिपि के रूप में विधिवत संलग्न/प्रमाणित भूमि का स्वामित्व दर्शाया गया हो।
- पावर ऑफ अटॉर्नी धारक को पंजीकृत पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रति जमा करनी होगी। उपरोक्त दर्शाए गए दस्तावेजों/विवरणों के बिना प्राप्त प्रस्तावों को निरस्त कर दिया जाएगा।

टिप्पणी: तकनीकी निविदा को एक अलग लिफाफे में रखकर उसके ऊपर 'तकनीकी निविदा' लिखा होना चाहिए।

(ख) **वित्तीय निविदा** : वित्तीय निविदा के साथ निम्नलिखित विवरण होने चाहिए:

- यह प्रस्ताव बिक्री के लिए या पट्टे के लिए या बिक्री अथवा पट्टे दोनों के लिए है
 - बिक्री की स्थिति में रूप में अनुमानित बिक्री राशि
 - पट्टे के मामले में, रूप में अनुमानित पट्टा किराया प्रतिमाह और पट्टे की अवधि
- टिप्पणी: वित्तीय निविदा को एक अलग लिफाफे में रखकर उसके ऊपर 'वित्तीय निविदा' लिखा होना चाहिए।
- तकनीकी एवं वित्तीय निविदा दोनों लिफाफों को अलग-अलग मुहरबंद कर दोनों को एक तीसरे लिफाफे में रखें और उसे मुहरबंद करके उसके ऊपर ".....(स्थान का नाम) पर भूमि का प्रस्ताव" लिखें।

इच्छुक पार्टियों कॉलन "मण्डल कार्यालय" के लागू अनुसार देय तिथि एवं समय तक निम्नलिखित पाते पर आवेदन कर सकते हैं:

क्र.सं. 1 से 24 तक जोधपुर मण्डल कार्यालय के लिए	वरिष्ठ मण्डल रिटेल सेल्स प्रबंधक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमडी), जोधपुर मण्डल कार्यालय, प्रथम तल, एलआईसी इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग, नजदीक अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह रोड, जोधपुर-302005
क्र.सं. 25 से 39 तक जोधपुर मण्डल कार्यालय के लिए	मुख्य मण्डल रिटेल सेल्स प्रबंधक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमडी), जोधपुर मण्डल कार्यालय, सेक्टर-12, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर-342008
क्र.सं. 40 से 61 तक उदयपुर मण्डल कार्यालय के लिए	मुख्य मण्डल रिटेल सेल्स प्रबंधक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उदयपुर मण्डल कार्यालय, इंडियन ऑयल भवन, प्लॉट नं. 1162-63, सेक्टर-11, शिवमंगरी, उदयपुर (राज.) 313002
क्र.सं. 62 से 76 तक अजमेर मण्डल कार्यालय के लिए	मुख्य मण्डल रिटेल सेल्स प्रबंधक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमडी), अजमेर मण्डल कार्यालय, ई-83, शास्त्री नगर, लोहागल रोड, अजमेर-305006

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि **13.08.2018 को 16:00 बजे** को है। अंतिम तिथि और समय के बाद प्राप्त प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। जमा किए गए प्रस्ताव देय तिथि से 150 दिनों की अवधि अथवा आपसी सहमति से बढ़ाई गई अवधि के लिए मान्य होने चाहिए।